न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

रिवीसन संख्या–93/2012–13 अन्तर्गत धारा–333 जं0वि0अधि0

मुकेश कुमार पुत्र स्व0 विनोद कुमार, निवासी–गांव एवं पो0ओ0–मियांवाला, परगना परवादून, तहसील व जिला देहरादून।

बनाम

1– सहायक कलेक्टर/उप जिलाधिकारी, सदर देहरादून, 2. तहसीलदार, सदर देहरादून, 3. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर, देहरादून।

उपस्थित : श्री एस0 रामास्वामी, मा0 अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री एस0ओ0 शर्मा।

अधिवक्ता उत्तरदातागण : श्री विनोद कुमार डिमरी जि0शा0अधि0, राजस्व।

निर्णय

यह निगरानी सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, सदर देहरादून द्वारा वाद संख्या–05/2010–11 सरकार बनाम शत्रुघन आदि अन्तर्गत धारा–176ए (1) जं0वि0अधि0 में पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 13–01–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

इस निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है:–

तहसीलदार, देहरादून ने दिनांक 03–01–2011 को अपनी आख्या उप जिलाधिकारी, सदर देहरादून को इस आशय की प्रेषित की कि ग्राम मियांवाला के अन्तर्गत दशरथ सिंह पुत्र रामशरण के नाम खाता संख्या 570 के खसरा संख्या 343ख रकबा 0.0410 है, खसरा संख्या 344ख रकबा 0.2830 है0, खसरा संख्या 55ख रकबा 0.0200 है0 कुल रकबा 0.3440 है0 आसामी पट्टेदार के रूप में दर्ज कागजात था। आसामी पट्टेदार स्व0 दशरथ पुत्र रामशरण निवासी ग्राम को श्रेणी 3 की भूमि आवंटित की गयी थी उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके वारिस क्रमशः शत्रुघन, जगदेव, मंगल सिंह पुत्रगण स्व0 दशरथ व मुकेश कुमार पुत्र स्व0 विनोद, श्रीमती पुनिया पत्नी स्व0 विनोद निवासी ग्राम वर्तमान खतौनी में दर्ज अभिलेख है। उपरोक्त खातेदारों के द्वारा दिनांक 12–07–2010 को उपरोक्त भूमि श्रीमती प्रमिला पंवार पुत्री त्रिवेन्द्र सिंह पंवार, निवासी ग्राम छिद्दरवाला, तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून को विक्रय कर दी गई है। पट्टेदार द्वारा उक्त भूमि का विक्रय किये जाने से पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। पट्टेदार के नाम 1384 फसली से आसामी पट्टेदार के रूप में दर्ज

चला आ रहा था जिसे पांच वर्ष 1389 फसली में पूर्ण हो चुके है। अतः उपरोक्त के आधार पर उक्त पट्टेदार का नाम खारिज किये जाने की संस्तुति की जाती है।

उक्त आख्या के आधार पर विद्वान सहायक कलेक्टर, देहरादून ने अपने आदेश दिनांक 13–01–2011 से वादग्रस्त सम्पत्ति राज्य सरकार में निहित करने के आदेश पारित किये गये। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

मैंने निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, राजस्व के तर्कों को सुना।

आक्षेपित आदेश दिनांक 13–01–2011 के अवलोंकन से स्पष्ट है कि इसे पारित करने से पूर्व निगरानीकर्ता को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान नही किया गया है तथा एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। निगरानीकर्ता के पूर्वजों को वादग्रस्त सम्पत्ति का पट्टा 1384 फसली अर्थात् लगभग 1977 में दिये गये थे। पट्टेदारों की मृत्यु के उपरान्त उनके विधिक वारिसों के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुए तत्पश्चात वर्ष 2011 में निगरानीकर्ता को सुने बिना एकपक्षीय रूप में आदेश पारित कर वादग्रस्त भूमि को राज्य सरकार में निहित कर दिया गया जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है न्यायहित में निगरानीकर्ता को सुना जाना एवं उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है क्योंकि निगरानीकर्ता को वादग्रस्त सम्पत्ति आवंटित किये 32–33 वर्ष हो गये है तथा इतनी लम्बी अवधि के पट्टों को बिना निगरानीकर्ता को सुने तथा साक्ष्य का अवसर दिये निरस्त करना विधिक एवं नैसर्गिक न्याय के विपरीत है। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता भी इस बात से सहमत है। तद्नुसार निगरानी स्वीकारणीय है तथा प्रकरण गुण दोष के आधार पर निस्तारण हेतु प्रति प्रेषित होने योग्य है।

आदेश

निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित आदेश दिनांक 13–01–2011 अपास्त कर प्रकरण सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, देहरादून को इस आशय से प्रति प्रेषित किया जाता है कि निगरानीकर्ता को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर ही प्रकरण का गुण दोष के आधार पर विधिसम्मत निस्तारण करें। पक्षकार दिनांक 12–02–2018 को अवर न्यायालय में उपस्थित हों। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित की जाय।

(एस0रामास्वामी)
अध्यक्ष।

आज दिनांकः 20–01–2018 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(एस0रामास्वामी)
अध्यक्ष।